Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच0 ई0 सी0, धूर्वा, राँची – 4

कार्यालय आदेश संख्या.................... दिनांक.............................

विषयः– ''एक मुश्त निपटारा'' योजना।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने उपभोक्तओं को राहत पहुँचाने हेतु पुनः ''एक मुश्त निपटारा योजना'' लागू करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के संकल्प संख्या 538 दिनांक 23.12.08 के द्वारा स्वीकृत योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नांकित हैः–

1) यह योजना आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगी।

2) डी0पी0एस0 में देय प्रतिशत छूट की गणना निम्नलिखित सूत्र (formula) के आधार पर दिनांक 31.03.08 तक के कुल ऊर्जा विपत्र में निहित डी0पी0एस0 (माह फरवरी'08 का ऊर्जा विपत्र) की राशि पर की जायेगी :–

डी0पी0एस0 में प्रतिशत छूट = X- (n-1) Y

n = किस्तों की संख्या (अधिकतम 12)

	उच्च विभव उपभोक्ता (HT)	गैर उच्च विभव (Non HT) उपभोक्ता
X	80 प्रतिशत	100 प्रतिशत
Y	4 प्रतिशत	5 प्रतिशत

3) देय किस्तों की अधिकतम संख्या 12 होगी।

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

4) किस्त भुगतान के अभाव में शेष राशि पर क्षतिपूर्ति (Compensation) चार्ज देय नहीं होगी।

5) दिनांक 31.03.08 के बाद के बकाये की राशि पर देय डी0पी0एस0 में छूट अनुमान्य नहीं होगी।

6) प्राथमिकी के मामलों में लागू नियमों/मानदंडों के आधार पर दंड की राशि देय होगी।

7) विवादित विपत्रों के निपटारा के मामलों में संशोधनोपरांत उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि अधिक होने की स्थिति में आधिक्य (excess) राशि का समायोजन बोर्ड के नियमानुसार आगामी (future) विपत्रों में किया जाएगा।

8) वैसे उपभोक्ता, जिन्हें इस योजना के तहत किस्तों में भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है तथा जिनका बकाया (निपटारा के पश्चात) 20,000/– रूपये से अधिक है, किस्तों का भुगतान Post dated cheque के माध्यम से ही करेंगे। इस योजनान्तर्गत उपभोक्ता द्वारा जमा चेक अस्वीकृत (dishonour) होने पर उपभोक्ता द्वारा निम्न दर पर दंड देय होगाः–

क) पहली बार चेक अस्वीकृत होने पर – 10 प्रतिशत

ख) दूसरी बार चेक अस्वीकृत होने पर – 20 प्रतिशत

ग) तीसरी बार चेक अस्वीकृत होने पर – 30 प्रतिशत

घ) चौथी बार चेक अस्वीकृत होने की स्थिति में इस योजना के तहत दी गई लाभ/छूट वापस ले ली जाएगी तथा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ड०) दंड की राशि अस्वीकृत चेक की राशि पर देय होगी। दंड की राशि एवं अस्वीकृत चेक की राशि का भुगतान अगले चेक के भुगतान तिथि (due date) से पूर्व करना होगा।

9) वैसे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध बोर्ड द्वारा नीलामपत्र वाद दायर किया गया है तथा निर्णय के लिए नीलामपत्र पदाधिकारी के पास लंबित है, भी इस योजना के तहत

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कि उपभोक्ता योजना के तहत निपटाये गए बकाया राशि के साथ कोर्ट फी (court fee) का भुगतान भी करें। ऐसे उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत सुविधा देने से पूर्व संबंधित नीलामपत्र पदाधिकारी को आवेदन देना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त निपटारा योजना के तहत भुगतान किया जायेगा तथा बोर्ड योजना के प्रावधानानुसार डी0पी0एस0 की राशि में छूट प्रदान करेगी।

10) वैसे निजी उपभोक्ता, जिनका बकाया एक मुश्त निपटारा योजना के उपरान्त 20,000/– रूपये अथवा उससे कम है, किस्त का भुगतान नगद भी कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को बोर्ड से एकरारनामा करना होगा। ऐसे मामलों में सभी किस्तों के पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही डी0पी0एस0 की राशि में छूट दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अलग से एक पंजिका (Register) बनाई जायेगी जिसमें किस्त में भुगतान की सारी विवरणियाँ अंकित रहेंगी।

11) Electricity Supply Code Regulation–2005 की कंडिका 11.8 में वर्णित प्राथमिकता के आधार पर भुगतान का समायोजन 28.10.05 के प्रभाव से किया जाएगा।

12) उपर्युक्त ''एक मुश्त निपटारा योजना'' के तहत विपत्र की विवादित तिथि से 31.03.2008 (फरवरी'08 का विपत्र) तक की अवधि में विवादित विपत्र पर लगी डी0पी0एस0 राशि पर छूट देय होगी बशर्त्ते कि इस अवधि में भुगतान की गई राशि में डी0पी0एस0 की राशि समायोजित की गई हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को यह वचन (undertaking) देना होगा कि वह किसी भी न्यायालय/फोरम में लंबित सभी विधिक मामलों को वापस (withdraw) कर लेगा।

13) वैसे मृत घरेलू उपभोक्ताओं, जिनका विद्युत संबंध 3 वर्षों से अधिक समय से विच्छेदित है तथा बकाया 20,000/–रूपये तक है, को डी0पी0एस0 की राशि में

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

जाएगी। उन्हें 12 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा किस्त भुगतान की अवधि में शेष राशि पर क्षतिपूर्ति (compensation) देय नहीं होगी।

14) उपर्युक्त योजना निजी,सरकारी,सरकारी उपक्रम तथा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से लागू होगी।

<u>योजना के अन्तर्गत राहत देने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–</u>

(I) श्रेणी के अनुसार उपभोक्ता झा0 रा0 वि0 बोर्ड के निम्नलिखित क्षेत्रीय पदाधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं:–

सहायक विद्युत अभियंता– कुटीर ज्योति, घरेलू एवं गैर घरेलू (ग्रामीण)

विद्युत कार्यपालक अभियंता– गैर घरेलू(शहरी), निम्न विभव औद्योगिक उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता

विद्युत अधीक्षण अभियंता– उच्च विभव उपभोक्ता, उच्च विभव विशेष सेवा (एच0टी0एस0एस0) एवं अन्य लागू श्रेणियाँ

(II) उपभोक्ता को निम्नलिखित प्रपत्र में आवेदन देना होगा:–

1) उपभोक्ता का नाम–

2) उपभोक्ता संख्या–

3) पता–

4) अवर प्रमंडल–

5) प्रमंडल/अंचल–

6) क) श्रेणी–

ख) सरकारी/निजी–

7) चालू/संबंध विच्छेदित–

8) संबंध विच्छेदन की तिथि (यदि लागू हो)–

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

क) ऊर्जा के मद में –

ख) डी0पी0एस0 के मद में –

10) क्या नीलामवाद दायर किया गया है–

यदि हाँ,

क) केस संख्या एवं सन्निहित राशि–

ख) नीलाम पत्र वाद की अद्यतन स्थिति–

11) क्या विवादित है–

<u>यदि हाँ,</u>

क) विवादित राशि–

ख) विवाद की तिथि–

ग) क्या न्यायालय/फोरम में लम्बित है–

12) मृत्यु की तिथि, यदि उपभोक्ता मृत है (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना है)–

13) क) आवेदित किस्तों की संख्या

ख) भुगतान की विधि(चेक/नगद)–

14) डी0पी0एस0 में देय छूट – प्रतिशत में–

– राशि (रूपये में)–

<u>घोषणा</u>

मैंने एक मुश्त निपटारा योजना की सभी विवरणियाँ पढ़ी है। मैं इस योजना की सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन का वादा करता/ करती हूँ।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

(नाम)

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कार्यालय

विद्युत अंचल/विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल

विपत्र का विवरण–

स्वीकृत किस्तों की संख्या–

देय छूट (प्रतिशत में)................................ राशि (रूपये) में...............................

प्रति किस्त देय राशि...........................

भुगतान की विधि..

हस्ताक्षर

स0वि0अ0/वि0का0अ0/वि0अ0अ0

(III) उपर्युक्त आदेश के उपरान्त उपभोक्ता/उपभोक्ता के प्रतिनिधि (यदि उपभोक्ता मृत हों) एवं बोर्ड के उपरोक्त नामित पदाधिकारी के बीच तीन प्रतियों में एकरारनामा किया जायेगा।

(IV) एकरारनामा एवं उपभोक्ता के स्वीकृत आवेदन की प्रति नियंत्री पदाधिकारी को संवीक्षा (Scrutiny) एवं अनुश्रवण (monitering) हेतु समर्पित की जायेगी। डी0पी0एस0 में देय छूट की राशि 25,000/– रूपये से अधिक होने की स्थिति में एकरारनामा एवं स्वीकृत आवेदन की प्रति मुख्य अभियंता (वा0 एवं रा0) को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

(V) एक अलग पंजिका रखी जायेगी जिसमें एक मुश्त निपटारा योजना के तहत डी0पी0एस0 में दी गई छूट एवं भुगतान की राशि दर्ज की जायेगी।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(VI) इस योजना के तहत डी0पी0एस0 में दी गई छूट तथा वसूली गई राशि की सूचना मुख्य अभियंता (वा0 एवं रा0) को प्रतिदिन महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता के द्वारा फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

(VII) किस्त की स्वीकृति बोर्ड के कार्यालय आदेश सं 1344 दिनांक 22.11.06 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर की जायेगी।

ह0/–
सचिव